आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–26 / 09–10

नन्दू प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

07.04.2015

नन्दू प्रसाद वल्द–स्व0 दया प्रसाद साह ग्रा0–सुगहा भवानीपुर अंचल–सिकटा द्वारा यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश ज्ञापांक 180, दिनांक 04.05.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की निलंबित अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज से वाद सं0–15 / 07 प्राप्त हुआ।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिकटा ने अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को प्रतिवेदित किया है कि अपीलकर्ता नन्दू प्रसाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानदार ने वी0पी0एल0 योजना के खाद्यान्न का अब तक ड्राफ्ट जमा नही किया है तथा अन्त्योदय योजना के खाद्यान्न का माह सितम्बर–2009 एवं अक्टुबर–2009 का भी बैक ड्राफ्ट जमा नही किया गया है। यह भी प्रतिवेदित है कि विक्रेता के द्वारा आवंटित खाद्यान्न का बैक ड्राफ्ट जमा नही करने के कारण सरकार की कल्याणकारी योजना के लाभ एवं लाभूक एक लम्बे समय तक वंचित रह गये। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने विक्रेता से अपनी ज्ञापांक 831 दिनांक 03.10.2009 एवं 834 दिनांक 03.10.2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण नही दियागया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विक्रेता से अपने ज्ञापांक 930 दिनांक 05.11.2009 के माध्यम से स्पष्टीकरण हेतु स्मारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 20.11.2009 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता को जवाब देने हेतु पर्याप्त समय दिया गया लेकिन उनके द्वारा जवाब दाखिल नही किया गया। आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	विक्रेता द्वारा जवाब नही देने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्होने जानबुझकर कल्याणकारी योजना के लाभ से लाभूको को वंचित रखते हुए खाद्यान्न को व्ययगत करा दिया गया जो अनुज्ञप्ति के शर्तो का खुला उल्लघंन एवं आदेश की अवहेलना है। इस भी स्थिति में अनुमंडल पदाध्किारी, नरकटियागंज ने विक्रेता के अनुज्ञप्ति को तत्कालीक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अपीलकर्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने बिना पूर्ण तथ्यों पर विचार किये हुए उनकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न को उठाव करने हेतु बैक ड्राफ्ट जमा नही किया गया है जबकि उन्होने मो0—19329.00 रूपयें का बैक ड्राफ्ट नं0—75081 दिनांक 29.10.2009 से एस0बी0आई बेतिया में जमा कर दिया है। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकरी ने बिना सत्यता की जांच किये हुए गलत प्रतिवेदन समर्पित किया जिसके आधार पर उनके अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी अनुज्ञप्ति 90 दिनों से ज्यादा अवधि तक निलंबित रही थी, जो विधि सम्मत नही है। दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपील आवेदन के साथ बैक ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न है जो मो0—13160.00 रूपयें का है। इसके अवलोकन से यह ज्ञात नही होता है कि यह बैक ड्राफ्ट बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न के उठाव से संबंधित है। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट नही होता है कि यह बैंक ड्राफ्ट अपीलकर्ता ने ही राशि जमा कर बनवाया था। इस परिस्थिति में वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता द्वारा बैंक ड्राफ्ट जमा किये जाने में किये जा रहे दावे की जांच कराकर समुचित आदेश पारित करें। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 07/4/15 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 07/4/15	